न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 206/2017

1. रहीम बख्श पुत्र श्री नूरे खां जाति कयाम खाली मुसलमान निवासी 10 एफ बडा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. हरबंश लाल पुत्र श्री कालूराम जाति अरोडा निवासी मकान नंबर 100, गली नम्बर 8, सेतिया कालोनी, श्रीगंगानगर
2. बबली उर्फ मन्जू बाला दत्तक पुत्री भगवान दास जाति अरोडा निवासी 251 मुकर्जी नगर श्रीगंगानगर
3. प्रमिला पत्नी स्व. श्री देसराज जाति अरोडा निवासी 10 एफ बडा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. सुरेन्द्र नागपाल पुत्र स्व. श्री देसराज जाति अरोडा निवासी 10 एफ बडा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. विरेन्द्र नागपाल पुत्र स्व. श्री देसराज जाति अरोडा निवासी 10 एफ बडा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. राहुल नागपाल पुत्र स्व. श्री देसराज जाति अरोडा निवासी 10 एफ बडा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री शेलेन्द्र गुनेजा अधिवक्ता – – अप्रार्थी संख्या 1 ता 6
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 7

–:: निर्णय ::–

26.12.2017

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी वाके गांव 10 ए बडा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के नाम से वाके चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 60/55 का मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 1 ता 12 (प्रत्येक 0.253), 13/1(0.127) कुल 3.163 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। प्रार्थी के परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर है तथा प्रार्थी खुद काश्त करता है।

प्रार्थी के उक्त रकबा में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं है, परन्तु प्रार्थी आर्सा दराज से, जब से गांव बसाहै, मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से स्वीकृतशुद्धा रास्ता से होकर मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 से अपने रकबा में प्रवेश करता है और उक्त मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में रास्ता

घरू तौर पर आपसी सहमति से चला आ रहा है। मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से, व किला नम्बर 3 व 4 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से तथा किला नम्बर 5 श्री देशराज पुत्र श्री कालू राम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। श्री देशराज का देहान्त हो जाने के कारण अभी तक उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में वारिसान के नाम से दर्ज नहीं हुआ है। उसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के खिलाफ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से इस चालू रास्ता मुरब्बा नम्बर 32 के किल नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर अप्रार्थीगण कहते रहे कि रास्ता घरू तौर पर चल रहा है आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आप अपनी इच्छानुसार उक्त रास्ता का उपयोग करते रहो, मगर अब अप्रार्थीगण के मन में बदनीयती आ गई है तथा व उक्त चालू रास्ता को बन्द करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त चालू रास्ता को बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थी को बेवजह मुकदमेबाजी में उलझना पडेगा।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त चालू रास्ता को स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए कई बार निवेदन किया है पहले तो वह टाल मटोल करते रहे, अब दिनांक 01.06.2017 को उन्होंने सहमति से रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया गया है। तथा प्रार्थी को धमकी दी है कि हम उक्त रास्ता को बन्द करेंगे।

प्रार्थी को अपने रकबा मे आने जाने के लिए रास्ता की अत्यंत आवश्यकता है तथा यही चालू रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। जिसको प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है तथा निर्धारित मुआवजा राशि अदा करने के लिए तैयार है।

उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को उसके रकबा चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 60/55 का मुरब्बा नम्बर 31 में आने जाने के लिए घरू तौर पर अर्सा दराज से चल रहे रास्ता चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा रकबा बतोर रास्ता स्वीकृत किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.11.2017 को तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। दिनांक 15.12.2017 को पक्षकारान द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जिसके तथयानुसार उपरोक्त अनवानी प्रकरण में गांव के मौजीज व्यक्तियों ने मिकर प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा करवा दिया है तथा द्वितीय पक्षकारान ने अपनी स्वेच्छा व सहमति से प्रथम पक्ष को उसके रकबा में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 की उत्तरी दिशा में से 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा रकबा बतौर रास्ता छोड दिया है तथा उक्त छोडे गये रास्ता की एवज में बतौर क्षतिपूर्ति धनराशि द्वितीय पक्षकारान ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ली है तथा द्वितीय पक्षकारान का रास्ता बाबत किसी प्रकार का कोर्ठ बकाया नहीं रहा है। प्रथम पक्ष इस रास्ता का उपयोग मुरब्बा नम्बर 26, 31 व 32 के वर्तमान मालिक व भविष्य में होने वाले मालिक उपयोग, उपभोग कर सकेंगे जिसमें किसी भी पक्ष को कोई ऐतराज ना होगा। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के मध्य यह भी तय हुआ है कि मुरब्बा नम्बर 26 का वर्तमान मालिक व भविष्य में

होने वाले मालिक मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5 की उत्तरी पूर्व कोने से 16.5 गुणा 16.5 फीट जगह का इस्तेमाल अपने मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मुरब्बा नम्बर 31 के वर्तमान मालिक व भविष्य में होने वाले मालिक को कोई ऐतराज ना होगा। मुरब्बा नम्बर 31 के मालिक द्वारा मुरब्बा नम्बर 26 के मालिक को अपने मरुब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5 के उत्तरी पूर्व कोने से 16.5 गुणा 16.5 फीट जगह का इस्तेमाल करने की सहमति अपनी इच्छा से दी है।

चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन किया जावे तो किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही है।

लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षकारों ने अपनी स्वेच्छा व सहमति से बिना किसी नशा पता, बिना किसी दबाव के अपने पूर्ण होशो–हवास में तहरीर कर तकमील कररवाया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर चक 10 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे एंवम रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी की भूमि में से एक बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के खाते में अंकन करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जोव।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **26.12.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर